

तत्काल

डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा

सं.8(28)/2018-उपूक्षे

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

(एनईआरएस अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

दिनांक: 4 सितंबर, 2019

सेवा में,

1. आयुक्त (उद्योग), अरुणाचल प्रदेश सरकार, ब्लॉक नंबर 23, अरुणाचल प्रदेश सिविल सचिवालय, ईटानगर- 791111
2. आयुक्त (उद्योग और वाणिज्य), आयुक्त कार्यालय, उद्योग और वाणिज्य, असम सरकार, उद्योग भवन, बमुनिमदान, गुवाहाटी -21, असम।
3. प्रधान सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, मणिपुर राज्य सरकार, मणिपुर सचिवालय, साउथ ब्लॉक, इंफाल- 795001, मणिपुर
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, कमरा नं 201, अतिरिक्त सचिवालय, शिलांग 793001, मेघालय
5. आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग निदेशालय विभाग, खटला, सर्किट हाउस के पास, आइज़ोल - 793001
6. आयुक्त और सचिव, नागालैंड सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार, नागालैंड सिविल सचिवालय, कोहिमा -797001, नागालैंड।
7. श्री थॉमस चांडी, प्रमुख सचिव (उद्योग), सिक्किम सरकार, उद्योग भवन, तडोंग, गंगटोक -सिक्किम -737102
8. प्रमुख सचिव (उद्योग), उद्योग और वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार, शिल्पा उद्योग भवन, खेजुरबगन, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा-799006

विषय: एनईआईआईपी, 2007 और टीएसएस, 1971 / एफएसएस,2013 के तहत राज्य स्तर पर लम्बित दावे जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कृपया सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अ.शा पत्र दिनांक 03.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिस के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों के संबंधित मुख्य सचिव राज्य सरकारों से एनईआईआईपीपी, 2007 और टीएसएस, 1971/एफएसएस, 2013 के तहत किए जाने वाले के दावों को शीघ्रता से मंजूरी देने के संबंध में अनुरोध किया गया था कि 31.03.2017 तक प्राप्त दावों को दिनांक 30.09.2018 तक इस विभाग को भेज दिए जाएं। बाद में, इस संबंध में राज्यों से प्राप्त अनुरोध पर इस समय सीमा को दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ाया गया था ताकि राज्य लंबित दावों को प्रस्तुत कर सकें।

2. कई अभ्यावेदन उत्तर पूर्व क्षेत्र की कई राज्य सरकारों द्वारा एनईआईआईपीपी, 2007 और टीएसएस, 1971/एफएसएस, 2013 के तहत किए जाने वाले राजसहायता के दावों का जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए थे।

3. इस विभाग द्वारा मामले की गहराई से जांच की गई और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि एनईआईआईपीपी, 2007 और टीएसएस, 1971/एफएसएस, 2013 के तहत किए जाने वाले राजसहायता दावों को जमा करवाने की अंतिम तिथि को दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ाया जाए।

4. इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया एनईआईआईपीपी, 2007 और टीएसएस, 1971/एफएसएस, 2013 के तहत किए जाने वाले राजसहायता के दावों को राज्य स्तर पर तेजी से निस्तारित करें ताकि उन्हें डीपीआईआईटी को उक्त पुर्नसंशोधित तिथि तक भेजा जा सके। यह भी अनुरोध किया जाता है कि उक्त पुर्नसंशोधित तिथि 31.12.2019 का सख्ती से अनुपालन करें और आगे इस संबंध में इस विभाग द्वारा कोई भी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(योगेश गुप्ता)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23063212

प्रति:

निदेशक (उद्योग) अरुणाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग, ब्लॉक नंबर 23, अरुणाचल प्रदेश सिविल सचिवालय, ईटानगर - 791111, अरुणाचल प्रदेश।

2) अपर निदेशक (एफपी), उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त कार्यालय, असम सरकार, उद्योग भवन, बमुनिमदान, गुवाहाटी -21, असम

230060/2020/डीबीए-II/उपूक्षे

- 3) निदेशक, वाणिज्य और उद्योग, मणिपुर सरकार, मणिपुर सचिवालय, साउथ ब्लॉक, इंफाल - 795001
- 4) आयुक्त और सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, मेघालय सरकार, अतिरिक्त सचिवालय भवन, कमरा
संख्या 103, शिलांग 793001
- 5) निदेशक (उद्योग), वाणिज्य और उद्योग निदेशालय विभाग, खटला, सर्किट हाउस के पास, आइज़ोल- 793001
- 6) आयुक्त और सचिव नागालैंड सरकार, विभाग निदेशक (उद्योग और वाणिज्य), उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार, नागालैंड सिविल सचिवालय, कोहिमा -797001, नागालैंड
- 7) श्री एसके प्रधान, सचिव / निदेशक, वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार, उद्योग भवन, तडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737,102
- 8) निदेशक और अतिरिक्त सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार, शिल्पा उद्योग भवन, खेजुरबगन, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा -799006